न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 35 / 2016 (डूंगरपुर डिक्री)

कयूम उर्फ सुल्तान पिता कालु जी कुंजडा, निवासी डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)
3. प्रधानाचार्य राजकीय महारावल सिनियर माध्यमिक विद्यालय, डूंगरपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), डूंगरपुर (राज.)
5. महारावल महिपालसिंह जी, उदय विलास पैलेस, डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री डी. सी. चौबीसा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री बी. एल. पण्डया अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट 3
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 4

———::———

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
दिनांक 19.08.2016, प्र. सं. 49 / 07

———::———

निर्णय **दिनांक 05–04–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी / अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी / रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डूंगरपुर में वादी एवं वादी के पिता की आराजीयात वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार कुल किता 19 पर संवत् 2032 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। वादी के उक्त कब्जे काश्त की भूमि को प्रतिवादी संख्या 5 के पिता पूर्व महारावल

साहब श्री लक्ष्मणसिंह जी की तरफ से दिनांक 31–05–1957 को राजस्थान राज्य एवं शिक्षा विभाग के नाम लिखकर रजिस्ट्री करवा दी। इस विक्रय विलेख में आराजी नंबर का अंकन नहीं किया मात्र ''उदय विहार'' भूमि का वर्णन कर भूमि के पड़ोस अंकित कर दिये। संवत् 2019 में उक्त भूमि महारावल लक्ष्मणसिंह के हाउस होल्ड के नाम दर्ज थी के स्थान पर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा हायर सेकेण्डरी स्कूल कृषि फार्म डूंगरपुर के खाते दर्ज कर दी, परन्तु वादी एवं वादी के पिता के नाम दर्ज नहीं किया। वादी का 30 वर्षो से निरन्तर कब्जा होने से प्रतिकूल कब्जे से भी वादी खातेदार हो चुके हैं। अतएवं वाद वर्णित भूमियों का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर विद्यालय का विधिवत अधिकार होने से वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया तथा धारा 11 जा.दी. के तहत भी वाद चलने योग्य नहीं होने से निरस्त करने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 4 तनकियां कायम की गयी :–

1. आया वादी वाद वर्णित भूमि को एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के खाते दर्ज भूमि को अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री कराने का अधिकारी है ? ..... वादी
2. आया वाद वर्णित भूमि विक्रय के समय से ही प्रतिवादी संख्या 3 के आधिपत्य, कब्जे व अधिकार में होने से वाद खारिज योग्य है ? ..... प्रतिवादी
3. आया वाद वर्णित भूमि का मुकदमा नंबर 71/97 दिनांक 29–09–2004 को निरस्त हो चुका है जिसकी अपील राजस्व अपील न्यायालय में विचाराधीन है। एक ही प्रकार के विवाद को बार–बार न्यायालय में लाने से विधान धारा 11 जा.दी. रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से रोक रखा है जिससे वादी का वाद चलने योग्य नहीं है ? ..... प्रतिवादी
4. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 19–08–2016 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट वादी/अपीलान्ट 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 25–10–2016 को पेश की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री बी. एल. पण्डया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों के लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को सही बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिये कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड एवं उपलब्ध साक्ष्यों तथा न्यायिक दृष्टान्तों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। खसरा गिरदावरियों से वादी का कब्जा साबित है, इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है। विक्रय विलेख में सिर्फ उदय विहार अंकित है, आराजी नंबर अंकित नहीं है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त विक्रय को मानकर वादी का वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया पाया तो यह पाया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में विद्यालय के नाम दर्ज है, जिस पर वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार चाहता है। वादी/अपीलान्ट के वाद का मूल आधार ही प्रतिकूल कब्जा है, जबकि इस सम्बन्ध में नवीनतम न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 में माननीय उच्च न्यायालय ने एवं आर.आर.डी. 14–06–2017 पेज 352 में माननीय राजस्व मण्डन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं। तद्नुसार वादी/अपीलान्ट के वाद का मूल आधार ही विधि

सम्मत नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद जो खारिज किया गया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–08–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

कयूम उर्फ सुल्तान पिता कालुजी कुंजडा नि0 डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर बनाम **राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**35 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**डूंगरपुर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....19**.....माह.....**08**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**05**.....माह.....**04**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री दिनेश चौबीसा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री बी. एल. पण्डया**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–08–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**05**.....माह.....**04**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।